न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंथल (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री अमृता खण्डेलवाल, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 2022 / 2022
दायर दिनांक : 03.11.2022
निर्णय दिनांक : 06.03.2026

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र घासीलाल
2. प्रहलाद नारायण पुत्र घासीलाल
3. जलेन्द्र कुमार पुत्र घासीलाल
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम पुरोहिता का बास तहसील दौसा हाल तहसील कुण्डल जिला दौसा राजस्थान

वादी

बनाम

1. रामभरोसी पुत्र कजोड
2. मेंघराम पुत्र कजोड
3. केदार पुत्र हरिनारायण
4. समरथीलाल पुत्र हरिनारायण
   समस्त जाति मीना निवासी पुरोहितों का बास तहसील दौसा हाल तहसील कुण्डल जिला दौसा

प्रतिवादीगण

वाद स्थाई निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता : श्री विनोद कुमार विजय एडवोकेट

–: निर्णय :–

उक्त वाद में संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार हैं कि – वादीगण ग्राम पुराहितों का बास तहसील दौसा हाल तहसील कुण्डल जिला दौसा के निवासी है। वाके ग्राम पुरोहितों का बास तहसील दौसा हाल तहसील कुण्डल जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.1500 है०, खसरा नबंर 1234 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 2971 रकबा 0.5300 है०, खसरा नंबर 2972 रकबा 1.4900 है, खसरा नंबर 865 रकबा 1.1000 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.3900 है0 के खातेदार व काबिज काश्तकार वादीगण व वादीगण की मां मूली देवी व वादीगण की बहन उर्मिला, सुरेश, कमोद, कलावती, सावित्रि है किन्तु वादीगण की मां मूलीदेवी व बहन उर्मिला, सुरेश, कमोद, कलावती, सावित्री ने वादीगण के पक्ष में हक त्याग कर अपने हक का त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है व आज भी मौके पर वादीगण काबिज है इस प्रकार आज दिन वादीगण उक्त भूमि के मालिक व स्वामी है व मौके पर वादीगण का कब्जा है। वादीगण की उक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण को कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण आपराधिक किस्म के लोग है तथा वादीगण की उक्त भूमि को जबरन हडपना चाहते है तथा वादीगण की उक्त भूमि में अवैध कब्जा करके निर्माण करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नहीं है वादी प्रहलाद दिनांक 05.03.2019 को अपनी भूमि खसरा नंबर 2792 पर था कि प्रतिवादीगण एकराय होकर मौके पर आ गये और प्रहलाद को धमकी दी कि उक्त खसरा नंबर 2792 में या तो हमें मकान बनाने हेतु जमीन देदे अन्यथा हम उक्त भूमि से तुम्हे बेदखल करेंगे तथा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करके मकान बनायेगे तथा तुमने उक्त भूमि में हमें मकान नहीं बनाने दिया तो हम तुम्हारी सम्पूर्ण भूमि बेदखल करके और जबरन कब्जा करेंगे और कब्जा नहीं करने दिया तो तुम्हारे साथ मारपीट करके और तुम्हे झूठे मुकदमों में फसा देगें करना हो सो का लेना अतः बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा करना लाजिम आया और प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना आवश्यक हो गया। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाने की कृपा करे कि वाके ग्राम पुरोहितों का बास तहसील दौसा हाल तहसील कुण्डल जिला दौसा में स्थित कृषि खसरा नम्बर 1233 रकबा 0.1500 है०, खसरा नबंर 1234 रकबा 0.1200 है0, खसरा नंबर 2971 रकबा 0.5300 है०, खसरा नंबर 2972 रकबा 1.4900 है, खसरा नंबर 865 रकबा 1.1000 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 3.3900 है0 के कब्जे वादीगण में प्रतिवादीगण स्वयं अपने नौकरों रिश्तेदारों से कोई दखल नहीं पहुचावे व उक्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें व उक्त भूमि से वादीगण को जबरन बेदखल करके कोई निर्माण कार्य न ही करें एवं उक्त भूमि में होकर कोई जबरन रास्ता आदि नहीं बनावें।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 09.04.2019 को श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया प्रतिवादीगण को जवाब दावा पेश करने हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण दिनांक 10.03.2021 को प्रतिवादीगण की ओर से जवाब बंद किया गया वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश करने पर दिनांक 02.09.2022 को साक्ष्य वादी बंद की गई तथा प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
सैथल

की साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करने पर दिनांक 07.11.2025 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

वाद पत्र की बहस एकतरफा वादी अधिवक्ता से सुनी गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं कर पाये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली व पत्रावली पर प्रस्तुत वादी द्वारा पस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वादी एकतरफा सुनी गई। वादी द्वार उक्त वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है चूंकि वादी ने न्यायालय में प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करने एवं किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने के लिए पाबन्द करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया है वादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है परन्तु मूली देवी पत्नि घासीलाल, उर्मिला, सुरेशी, कमोद, कलावती, सावित्रि पुत्रीयान घासीलाल की खातेदारी उक्त भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिनको प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है वाद पत्र में वादीगण द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा वादीगण के पक्ष में हकत्याग कर दिया गया है लेकिन वादीगण द्वारा हकत्याग के संबंध में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है वादीगण द्वारा वाद पत्र में अपने समर्थन में किसी प्रकार का साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः जमाबंदी में दर्ज रिकॉर्डेड खातेदार मूली देवी पत्नि घासीलाल, उर्मिला, सुरेशी, कमोद, कलावती, सावित्री पुत्रीयान घासीलाल को सुने बिना प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिबंधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अन्तिम निर्णय व डिक्री पारीत की जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फेसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

प्रकरण फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुश्री अमृता खण्डेलवाल)
उपखण्ड अधिकारी
सैंथल

उपखण्ड अधिकारी
सैंथल